

सं. 49011/2/2017-स्था.(ग)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक : 19 फरवरी, 2018

कार्यालय जापन

विषय : 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाएं - अस्थायी स्थिति वाले अनियत श्रमिकों के लिए वेतनमान का लागू होना।

अधोहस्ताक्षरी को यह उल्लेख करने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार की दिनांक 25 जुलाई, 2016 की अधिसूचना के अनुसार 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन किए जाने पर, अस्थायी स्थिति वाले अनियत श्रमिकों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 के अनुसार समूह 'ग' वेतनमानों के आधार पर तैयार की गई और सरकार द्वारा अनुमोदित अनियत श्रमिक (अस्थायी स्थिति प्रदान करना एवं नियमितीकरण) योजना के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 01.01.2016 से अपनी मजदूरी निरन्तर मिलती रहेगी बशर्ते वे दसवीं पास हों। दसवीं पास न करने वाले समान रूप से तैनात अस्थायी स्थिति वाले अनियत श्रमिकों को एमओएफ के दिनांक 24.12.2008 के का.ज्ञा. सं. 1/1/2008-आईसी के प्रावधानों के अनुसार संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपेक्षित प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के बाद ही दिनांक 01.01.2016 से उक्त मजदूरी लाभ प्रदान किए जा सकेंगे।

2. इसे वित्त मंत्रालय के दिनांक 07.02.2018 को आईडी सं. 4-17/2017-आईसी/ई.।।।ए की सहमति से जारी किया गया है।

ह0/-

(संजीव कुमार)

उप सचिव (स्थापना)

टेलिफैक्स : 23093176

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।

प्रतिलिपि:-

- I. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
- II. उप-राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
- III. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली।
- IV. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
- V. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
- VI. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
- VII. भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
- VIII. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
- IX. सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली।
- X. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय।
- XI. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सभी अधिकारी एवं अनुभाग।
- XII. एनआईसी प्रकोष्ठ से अनुरोध है कि इस कार्यालय जापन को OMs/Orders---*Establishment---*Daily Wage Casual Labour और 'What is New' के अंतर्गत अपलोड करें।